

—सत्तर—

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या क0नि0-2551 / 11-2005-500(57)-2005

लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2005

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-301

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वास्तु खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित 35 मीटर × 35 मीटर क्षेत्रफल के वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या सी0पी0 3 के लिए, श्रीमती रंजना त्रिपाठी पत्नी शहीद मेजर अमिय कुमार त्रिपाठी के पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टे के लिखत पर, और अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन पट्टाधृत अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व वाले अधिकारों में संपरिवर्तन के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-2551/XI-2005-500(57)-2005, dated June 24, 2005 for general information :

No. K.N.-5-2551/XI-2005-500(57)-2005

Lucknow, Dated June 24, 2005.

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its

application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable on instrument of lease under Article 35 and on instrument of conversion of leasehold rights into freehold rights under clause (a) of Article 23 of Schedule I-B of the said Act executed by Lucknow Development Authority in favour of Shrimati Ranjana Tripathi wife of Shaheed Major Amiya Kumar Tripathi for Commercial plot no. CP-3 area 35 metres x 35 metres situated in Vastu Khand, Gomti nagar, Lucknow.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.